छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- http://samvad.cg.nic.in, email : cgsamvad@gmail.com

क्रमांक– 17 / छ.ग.सं / प्रका. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक : 04 / 04 / 2022

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडल, बोर्ड एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के लिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाइन माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in** पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र का शुल्क	**रूपये 2,360 /–(जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)**
अमानत राशि	**रूपये 5,00,000 /– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)**
प्रि–बिड	**दिनांक 19 / 04 / 2022 समय दोपहर 3:00 बजे (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)**
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	**दिनांक 10 / 05 / 2022 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक**
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 10 / 05 / 2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक**
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	**दिनांक 10 / 05 / 2022 समय 4:00 बजे सायं से**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालय , ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार- प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो के एम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्ते

क्र.	नियम एवं शर्ते
1	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु यूनीपोल के निविदा वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय में प्रचार-प्रसार हेतु यूनीपोल का स्पेस किराये से देने वाले सभी यूनीपोल एजेंसियों से विकासखण्ड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय में स्थापित स्वयं के स्वामित्व के यूनीपोल में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु दर आमंत्रित किया जा रहा है। जॉइंटवेंचर/ फेंचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा|
2	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2020-21 का 15 लाख रुपए का होर्डिंग /यूनीपोल / विज्ञापन एजेंसी कार्य का टर्न ओवर होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा |
3	पेन कार्ड , Assessment year- 2020-21 एवं 2021-22 का इन्कमटैक्स रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा |
4	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 5,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:- Account Name : Chhattisgarh Samvad Bank Name : Axis Bank Ltd. Branch Name : Pandri, Raipur (C.G.) Saving Account No. : 139010100021669 IFSC Code No. : UTIB0000139
5	छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है। साथ ही ऑनलाईन जमा किये जाने वाले टेक्नीकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड के दस्तावेजों की हार्डकॉपी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र .10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा ।
6	निविदा मे प्राप्त दरो के आधार पर न्यूनतम दर निधारित कर निर्धारित दरो मे कार्य करने मे सहमत योग्य एजेन्सियों की 02 वर्षों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा| निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले एजेंसियों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी | कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरो मे पैनल के एजेन्सियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा|

7	यूनीपोल हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार, प्रकार एवं संख्या में कमी पाए जाने पर संवाद द्वारा गठित यूनीपोल समिति से परीक्षण कराया जायेगा और कार्यादेश के अनुरूप नहीं होने पर कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
8	यूनीपोल लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। मीडिया/ मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारियों से प्रमाणित संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र, एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां जिसमें यूनीपोल की लोकेशन, अवधि एवं साईज उल्लेखित हो देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। Printing Media हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री NGT तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसका उत्तरदायित्व सम्बंधित एजेंसी की होगी।
9	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा। कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् 21 दिवस के भीतर फोटोग्राफ्स एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित एजेंसी द्वारा देयक की तिथि से नियत समय में निर्धारित जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करायी जानी होगी। एजेंसी के देयकों के भुगतान के समय एजेंसी द्वारा देयक में उल्लेखित तथा तदानुसार जमा की गई जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जाएगी।
10	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत एवं नियम शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
11	आमंत्रित दर में मीडिया/ मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा। संवाद द्वारा पृथक से मीडिया/मटेरियल के मुद्रण हेतु निविदा किया जा रहा है। उक्त निविदा के L-1 दर पर कार्य मान्य होगी।
12	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची मे डाले गये एजेंसी निविदा मे भाग नही ले सकते। इस सम्बन्ध् मे निर्धारित प्रारूप में एजेंसी को 50 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एजेंसी को कहीं भी काली सुची मे नही डाला गया है।
13	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नही होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओ से यथा आवश्यक अनुमति /प्रमाण पत्र/NOC एजेंसी के पास होनी चाहिए।
14	कार्य संपादन पश्चात सत्यापन प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स के साथ 21 दिवस तक एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत नही करने पर एजेंसी को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आबंटन नही किया जायेगा।
15	छत्तीसगढ़ राज्य के जिला मुख्यालयों के अलावा विकास खण्डों में स्थापित यूनीपोल हो जो स्वंय के स्वामित्व का हो, जो स्थानीय विकास प्राधिकरण निकाय, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत से वैध हो।
16	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
17	नगर निगम अथवा जो भी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था का क्षेत्र अधिकार है, उसकी अनुमति से जारी यूनिपोल की सूची निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
18	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन की तिथि से आगामी दो वर्षों के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात् अवधि में कम, वृद्धि व निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।

19	जो एजेंसी प्रस्तावित कार्य के लिए यदि L-1 है और कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमथता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण से जाहिर करता है तो उसे तीन माह तक कोई कार्य नहीं दिया जायेगा।
20	पैनल के एजेंसी द्वारा निधारित समय सीमा के अंदर चाहे गए स्थानों में कायदेश में उल्लेखित आकार प्रकार में कार्य से इंकार करने पर एजेंसी की सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी तथा एजेंसी को एक साल तक ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा।
21	एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।
22	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा|
23	व्यवहार मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, अटल नगर
जिला - रायपुर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , अटलनगर

जिला - रायपुर ,छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालय , ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु यूनीपोल के माध्यम से प्रचार- प्रसार हेतु योग्य फर्मो के एम्पैनलमेंट हेतु वित्तीय प्रस्ताव

S .N.	Work Name	Duration	Rate per sq. Ft
1	**बिना लाईट यूनीपोल :-** छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विकासखण्ड मुख्यालय , ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें। 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन (प्रति वर्ग फीट)	
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
2	**लाईट यूनीपोल :-** छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विकासखण्ड मुख्यालय , ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें। 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन (प्रति वर्ग फीट)	
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
3	**बिना लाईट मिनी यूनीपोल** :-छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विकासखण्ड मुख्यालय , ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय में बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो , विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें। 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन (प्रति वर्ग फीट)	
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
4	**लाईट मिनी यूनीपोल** :-छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विकासखण्ड मुख्यालय , ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पंचायत मुख्यालय में लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो , विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें। 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन (प्रति वर्ग फीट)	
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	

टीप: उपरोक्त दरों के अलावा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।

दिनांक :

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

हस्ताक्षर (सील मुद्रा)

पूर्ण पताः

मोबाईल नं.

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं——————————संस्था प्रमुख निवासी ———————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान —————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर